



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 भाद्र 1942 (श0)
(सं0 पटना 548) पटना, शुक्रवार, 11 सितम्बर 2020

सं० वि0आ0(15)का0-06 / 2020-4575

वित्त विभाग

संकल्प

8 सितम्बर 2020

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार के पत्रांक-15(2)FC-XV/FCD/ 2020-25 दिनांक 01.06.2020 के द्वारा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्थानीय निकायों को दिये जानेवाले अनुदान के कार्यान्वयन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इसी क्रम में पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-N-11013/22/2015-FD दिनांक 22.06.2020 के आलोक में केन्द्र सरकार से प्राप्त होनेवाली अनुदान की राशि के उचित उपयोग के अनुश्रवण तथा इन अनुदानों की देयता से संबंधित शर्तों के अनुपालन हेतु मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में "उच्चस्तरीय अनुश्रवण समिति" (High Level Monitoring Committee) के गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस समिति के निम्नांकित सदस्य होंगे :-

i. विकास आयुक्त	—	सदस्य
ii. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग	—	सदस्य
iii. प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग	—	सदस्य
iv. प्रधान सचिव/सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग	—	सदस्य
v. प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग	—	सदस्य
vi. सचिव, विधि विभाग	—	सदस्य

2. इसके अतिरिक्त अन्य विभाग के प्रधान सचिव/सचिव सदस्य होंगे, जिन्हें 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा से संबंधित राशि प्राप्त होगी।

3. समिति 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर विभिन्न मदों में प्राप्त होनेवाली अनुदान की राशि के उचित उपयोग तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा एवं अनुश्रवण का कार्य करेगी।

4. समिति की बैठक कम-से-कम तीन माह में एक बार या आवश्यकतानुसार इससे अधिक भी आहूत की जा सकेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
एस0 सिद्धार्थ,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 548-571+200-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>